NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

2013-14

वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन
2013-2014

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

प्रौद्योगिकी

शोध एवं विकास

नवाचार (परिवर्तन)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में .... 4 -10

वित्तीय सूचना

1. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 12-13
2. तुलन पत्र-एनएबी 14
3. आय और व्यय लेखा-एनएबी 15
4. अनुसूची-अनुदान-एनएबी 16
5. प्राप्ति और भुगतान लेखा-एनएबी 17
6. खातों पर नोट्स-एनएबी 18-19

एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए भारत के नियंत्रण 20-24
एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।

2. सोसाइटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।

3 सोसाइटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. मोटर वाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।

ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबद्ध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग करना।

iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करना।

iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।

v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केन्द्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बैंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।

vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।

vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीवीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की संवैधानिक एजेंसियों से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।

viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।

ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।

x. सरकार अथवा शासी परिषद्, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

xi. शासी परिषद्, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।

xii. राष्ट्रीय / वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियम, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।

4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद् का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसाइटी के निम्नलिखित 'सदस्य वर्गों' के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता है:

- साधारण सदस्य;
- कार्यात्मक सदस्य;
- सदस्य केंद्र;
- संबद्ध सदस्य;
- मनोनीत सदस्य;
- मानद सदस्य;

शासी परिषद की वर्तमान संरचना

1.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय
3.	अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय
4.	कार्यात्मक सदस्य, एनएबी
5.	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
6.	अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
7.	निदेशक (एमकेटी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
8.	अध्यक्ष, स्केल समिति
9.	प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)
10.	निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (एफपीसीएएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी)
11.	प्रबन्धक निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (ओएएडीएम), एनएबी
12.	अध्यक्ष, सियाम
13.	अध्यक्ष, एसीएमए
14.	अध्यक्ष टीएमए
15.	अध्यक्ष, एआरएआई
16.	डॉ. अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह
17.	श्री शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स
18.	श्री सौमित्र भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड

19.	श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमैक्स
20.	श्री गोपाल महादेवन, निदेशक, स्ट्रैटेजिक वित्त, अशोक लीलैंड
21.	श्री कवन मुख्तयार
22.	निदेशक – आईकैट
23.	निदेशक – नैट्रैक्स
24.	निदेशक – जीएआरसी

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:

   i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुवीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।

   ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम) के साथ विनिमय का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।

   iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।

   iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।

7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणाः** इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटीग, फोटोमिट्री, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीएई। यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ हैः

- शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
- संघटक विकास

आईकैट परिसर-1, मानेसर

आईकैट परिसर,-2, मानेसर

शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)

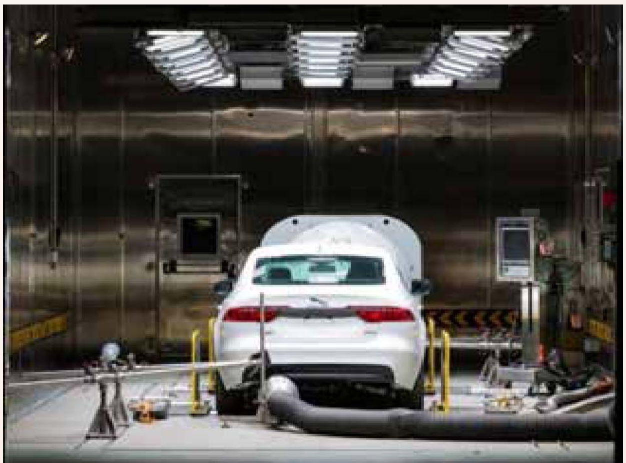
वाहन परीक्षण प्रयोगशाला

ii. **वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) चेन्नई , तमिलनाडु:** वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं। केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- विद्युत-चुम्बकीय अंत:क्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
- उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
- इन्फोट्रॉनिक्स

जीएआरसी,चेन्नई

ईएमसी/ईएमआई परीक्षण प्रयोगशाला

एडवांस पैसिव सेफ्टी प्रयोगशाला

ईएमसी प्रयोगशाला

iii. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट (ट्रैक्स-इंदौर) :** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ मे विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है। केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- वाहन गतिकी (वीडीवाई)

नैट्रैक्स, इंदौर

वाहन गतिकी (वीडीवाई)

हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक

शोर और स्थिरता ट्रैक

iv. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी-सिलचर):** एनआईएआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईएआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईएआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबोंड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं। इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। एनआईएआईएमटी वर्ष 2011 से स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, शेष सुविधा 2013 में पूरी हुई।

जाफिरबोंड परिसर

जाफिरबोंड परिसर

8. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन्न कर रहे हैं।

9. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वित्तीय सूचना
2013-2014

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,
राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

1 हमने राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (इस रिपोर्ट में 'सोसाइटी' के रूप में संदर्भित) के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारीयाँ शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदार

2 प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो कि संस्था वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3 हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें जिससे इस बारे में आश्वासन दिया जा सके की वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं।

4 ऑडिट में वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में, ऑडिटर वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति में सोसायटी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों । इकाई का आंतरिक नियंत्रण. ऑडिट में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5 हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय और रिपोर्ट

6 हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन

सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

(क) बैलेंस शीट के मामले में, 31 मार्च 2014 तक सोसायटी के मामलों की स्थिति

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष (व्यय पर आय की अधिकता) के आय और व्यय खाते के मामले में और

(ग) 31 मार्च 2014 तक सोसायटी की प्राप्ति और भुगतान के मामले में इसके अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि, खातों पर नोट्स के अधीन-

(घ) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऑडिट के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(च) हमारी राय में कानून द्वारा अपेक्षित हिसाब-किताब की किताबें सोसायटी द्वारा अब तक रखी गई हैं, जैसा कि इन किताबों की हमारी जांच से पता चलता है

(छ) इस रिपोर्ट में बताए गए बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते, और प्राप्ति और भुगतान खातो किताबों के अनुरूप हैं।

(ज) हमारी राय में, बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता, और प्राप्ति और भुगतान खाता प्रासंगिक और लागू लेखांकन मानक का अनुपालन करते हैं

सचिन अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन आरईजीएनः 014915सी

सीए सचिन अग्रवाल
सदस्य संख्या-408502

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09-10-2019

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2014 को

(राशि ₹ में)

देयताएं	राशि	संपत्ति	राशि
कॉर्पस फंड आरक्षित और अधिशेष अधिशेष	1000000.00	अचल संपत्तियां वर्तमान संपत्तिया ऋण और अग्रिम नैट्रिप को अग्रिम बैंक में जमा राशि नकदी जमा	1000000.00
	1000000.00		1000000.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स — अनुसूची संख्या -1

सम दिनांकित संलग्न की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सचिन अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन आरईजीएन: 014915सी

सीए सचिन अग्रवाल — अवर सचिव — निदेशक
सदस्य संख्या-408502

स्थान:-नई दिल्ली
दिनांक 09-10-2019

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष का

(राशि ₹ में)

व्यय	राशि	आय	राशि
व्यय से अधिक आय (अधिशेष)	1000000.00	सरकारी अनुदान	1000000.00
	1000000.00		1000000.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स — अनुसूची संख्या -1

सम दिनांकित संलग्न की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सचिन अग्रवाल एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन आरईजीएन: 014915सी

सीए.सचिन अग्रवाल
सदस्य संख्या-408502 — अवर सचिव — निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 09-10-2019

अनुसूची-अनुदान

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	पूर्व संचालन व्यय	1000000.00

अनुसूची-अधिशेष

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	पूर्व संचालन व्यय	1000000.00

सम दिनांकित संलग्न की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सचिन अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन आरईजीएन: 014915सी

सीए सचिन अग्रवाल
सदस्य संख्या-408502

अवर सचिव

निदेशक

स्थान:-नई दिल्ली
दिनांक 09-10-2019

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा
31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष का

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
I. प्रारम्भिक शेष	-	I. व्यय	-
II. अनुदान प्राप्त हुआ	-	II भुगतान निधि से व्यय	-
III. निवेश पर आय	-	III. निवेश और जमा किया गया	-
IV. ब्याज प्राप्त हुआ	-	IV अचल संपत्तियों पर व्यय पूंजीगत कार्य प्रगति व्यय	-
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	-	V. अधिशेष धन/ऋण की भुगतान	-
VI. उधार ली गई राशि	-	VI. वित्त शुल्क (ब्याज)	-
VII. कोई अन्य प्राप्ति	-	VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)	-
	-	VIII समापन शेष	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स — अनुसूची संख्या -1

सम दिनांकित संलग्न की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
सचिन अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन आरईजीएन: 014915सी

सीए सचिन अग्रवाल — अवर सचिव — निदेशक
सदस्य संख्या-408502

स्थान:-नई दिल्ली
दिनांक 09-10-2019

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

अनुसूची-1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स

1 पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। इसका पंजीकरण विवरण पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 दिनांक 27/08/2013 है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र को बढ़ावा देना/इससे संबंधित डेटा का संग्रह और विश्लेषण करना और सरकार को सिफारिश करना है।

इसके सदस्य भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के सरकारी अधिकार और ऑटोमोटिव क्षेत्र के उद्योगो के अधिकारी है। सामान्य रूप से इसका कार्य सरकार एवं ऑटमोटिव उद्योग के बीच समन्वय बनाना है

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन की विधि

जैसा कि अन्यथा कहा गया हो, सोसायटी ने लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानक के अनुसार ऐतिहासिक लागत पर तैयार किए जाते हैं। सभी व्यय और आय का हिसाब उपार्जन आधार पर किया जाता है, जैसा कि अन्यथा बताया गया हो।

2 अचल संपत्ति

सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत में शामिल किया गया है, जिसमें माल ढुलाई, शुल्क और कर और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए काम में लाने के लिए अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं। अचल संपत्तियों के निपटान के समय, परिसंपत्तियों का लिखित मूल्य कम कर दिया जाता है और शेष राशि को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

3 मूल्यह्रास

अचल संपत्तियों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित दर पर लिखित आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

4 कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों को बोनस नकद आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा, अन्य लाभ जैसे अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और ईएसआई का हिसाब उपार्जन के आधार पर किया जाता है। कर्मचारी लाभ केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार दिए गए हैं।

5 आय पहचान

अन्यथा बताए गए को छोड़कर सभी आय और व्यय का हिसाब उपार्जन आधार पर किया जाता है।

6 अनुदान

सोसायटी को इस संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक में निर्दिष्ट आय दृष्टिकोण पर सरकार से प्राप्त अनुदान को मान्यता दी गई है।

सरकार से प्राप्त अनुदान को प्राप्ति के आधार पर दर्ज किया गया है।

7 विविध

व्यय उस आधार पर दर्ज किया जाता है जब इस संबंध में चालान/बिल सोसायटी द्वारा प्राप्त किया गया हो।

- बचत बैंक का ब्याज सरकार को वापस करने योग्य है, इसलिए यदि कोई राशि भुगतान नहीं की गई है तो इसे देनदारियों के रूप में दिखाया गया है।
- भुगतान के समय टीडीएस काटा गया है।
- अनुसंधान और विकास व्यय के मामले में, टीडीएस नहीं काटा गया है। यह माना जाता है कि टीडीएस काटने का दायित्व अनुसंधान एवं विकास एजेंसी पर है।
- खर्चों की प्रतिपूर्ति पर टीडीएस नहीं काटा गया है. यह माना जाता है कि काटे गए टीडीएस का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो वास्तव में व्यय किया है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन को तब दर्ज किया गया है जब संबंधित कंपनी द्वारा सोसायटी में दावा दायर किया गया हो।
- सोसायटी के निर्माण या सोसायटी के बैंक खाते खोलने से पहले किए गए खर्चों को सोसायटी निर्माण के पूर्व व्यय के रूप में माना जाता है और इन खर्चों को सोसायटी के निर्माण के बाद 5 वर्ष में आय एवं व्यय खाते से समायोजित करना है।

खातों के लिए नोट्स

1 कानून की अनदेखी के कारण सोसायटी द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

2 राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के नियमों और विनियमों के पैरा 10.2 के अनुसार, शासी निकाय द्वारा कम से कम एक वार्षिक आम बैठक आयोजित की जानी चाहिए। इसके पूर्ण रूप से क्रियाशील न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है।

3 राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के नियमों और विनियमों के पैरा 1.0 के अनुसार अधिनियम की प्रयोज्यता ''सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1957 के सभी प्रावधान, जैसा कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक विस्तारित है सोसायटी पर लागू होगें।"

4 प्रबंधन ने बताया है कि सोसायटी में ऑडिट अवधि के दौरान कोई धोखाधड़ी/आग नहीं लगी है।

5 कंपनियों को दी गई प्रोत्साहन राशि के लिए विविध लेनदार का शेष और अन्य शेष जो पुष्टि के अधीन हैं।

6 सोसायटी का पहला वर्ष है इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं।

सचिन अग्रवाल एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन आरईजीएन: 014915सी

सीए सचिन अग्रवाल अवर सचिव निदेशक
सदस्य संख्या-408502

स्थान:-नई दिल्ली
दिनांक 09-10-2019

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2014.

1. We have audited the attached Balance Sheet of National Automotive Board (NAB) as at 31 March 2014, the Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account for the year ended on that date under Section 20(1) of CAG (DPC) Act, 1971. The preparation of these financial statements is the responsibility of NAB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial statements with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., it any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. As audit includes examining, on test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall presentations of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

   i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account dealt with by this report have not been drawn up in the format approved by the Government.

   iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Automotive Board in so far as it appears from our examination of such books.

   iv. We further report that:

COMMENTS ON ACCOUNTS

(A) Grants in Aid

Grants-in-aid of ₹ 10 lakh was advanced to NATRiP implementing Society by the Department of Heavy Industries (DHI) in March 2013 vide letter dated 28.03.2013 with inter-alia stated that after

NAB is set up, the balance fund, if any has to be transferred to NAB. Accordingly, after being set up in August 2013, the same has been booked as grants by NAB.

(B) Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report would be brought to the notice of NAB, through a Management Letter for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Automotive Board as at 31 March 2014; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

C. Nedunchezhian

(C. Nedunchezhian)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 06/11/2020

Annexure to Separate Audit Report

National Automotive Board

1. Adequacy of Internal Control System

The Board was not manned by regular manpower and activity of the Board was being looked after by the officials from the Department of Heavy Industry (DHI), in addition to their respective charge in the DHI. Hence, the Internal Control System is inadequate.

2. Adequacy of Internal Audit System

No internal audit system exists in NAB.

3. System of physical verification of Fixed Assets

The NAB did not have any Fixed Assets during the year ended March 2014.

4. System of Physical Verification of Inventory

The NAB did not have any inventory during the year ended March 2014.

5. Regularity in Payment of Statutory Dues

As it was the first year of operation of the society, no statutory payments were due to be paid.

Deputy Director/AMG-III

S. No.	SAR- FY 2013-14 (General Comments)	NAB's Explanation
A.	**Grants in Aid** Grants-in-aid of ₹10 lakh was advanced to NATRiP implementing Society by the Department of Heavy Industries (DHI) in March 2013 vide letter dated 28.03.2013 with inter-alia stated that after NAB is set up, the balance fund, if any has to be transferred to NAB. Accordingly, after being set up in August 2013, the same has been booked as grants by NAB	Noted
B.	**Management Letter** Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report would be brought to the notice of NAB, through a Management Letter for remedial/corrective action	Noted
	Annexure 1 to Separate Audit Report	
1	**Adequacy of Internal Control System** The Board was not manned by regular manpower and activity of the Board was being looked after by the officials from the Department of Heavy Industry (DHI), in addition to their respective charge in the DHI. Hence, the Internal Control System is inadequate.	Further, vide MHI order dated 17.03.2021, NAB has taken over the NATIS. As per the mandate, NAB commenced its operation with the support of secretariat NATIS and administrating the centres viz. GARC, NATRAX, ICAT etc., which were created under NATIS. Now, after amalgamation, these employees of NATIS (refer transferor society) are now the employees of NAB (refer transferee society). NATRIP project was completed in Year 2021 and the procedure of amalgamation of NATIS with NAB was taken place in February, 2023. Currently, to further support the NAB operations, additional Charge of the post of three (3) Functional Member, NAB and post of five (5) Director, NAB have been entrusted to the officials posted at MHI.
2	**Adequacy of Internal Audit System** No internal audit system exists in NAB.	Noted, it was the first year towards setting up of Society. After amalgamation of NATIS with NAB, Internal Audit has also been started from FY 2021-22 onwards.

3	**System of physical verification of Fixed Assets** The NAB did not have any Fixed Assets during the year ended March 2014	Noted
4	**System of Physical Verification of Inventory** The NAB did not have any inventory during the year ended March 2014	Noted
5	**Regularity in Payment of Statutory Dues** As it was the first year of operation of the society, no statutory payments were due to be paid	Noted

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड
(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्याल : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉर्पोरेट कार्यालय : द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र
(आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा-122051
दूरभाष:+91-124-6900000